नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

फाइल सं0 3-टी आर-(15)/99-ओसीसीपी दिनांकः 12.03.2015

विषयः भारत सरकार और गैर वापसी शुल्क से संबंधित नौवहन महानिदेशालय पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों की पात्रता सुनिश्चित करने बाबत।

प्रशिक्षण परिपत्र नं0 3/2015

1. नौवहन महानिदशालय, भारत सरकार, मुंबई समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करने के लिए नोडल एजेंसी है। नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार, को संस्थानों / पाठ्यक्रमों अनुमोदन के लिए समय-समय से समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से कई आवेदन प्राप्त हुए है। या कई बार देखा गया है कि एम टी आई, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। जिस के लिए वें पात्र नहीं होते है। नौवहन महानिदेशक, आदेश नं0 2/2007 [फा. सं.21 –टि आर (1)/2007 दिनांक 31 अक्तूबर 2007] पैरा 1.5.4 और नौवहन महानिशालय आदेश सं0 1/2003 [फा.सं0 3-टि आर (56)/2002 दिनांक 15 जनवरी 2003] के पैरा 1.5.3 के शर्तो में गैर वापसी प्रोसेसिंग शुल्क ऐसे आवेदन के लिए प्रभारित है। जो एम टी आय आवेदक द्वारा जमा कर सकता हों और समय पर आवेदन प्रस्तुत करता हों।

2. यह भी देखा गया है कि बहुत से आवेदन नौवहन महानिदेशक के दिशा निर्देशों के बिना अनुपालन के /अयोग्यता के कारण रद्द किए गए है। हालांकि, कार्यालय को यह भी ध्यान में आया है कि एम टी आई ऐसे प्रस्तावों कि अस्वीकृति के बाद आवेदन / प्रस्ताव के लिए भुगतान कि गई प्रोसेसिंग शुल्क एम टी आई द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य प्रस्ताव के विरूद्ध समायोजित कि जा सकती है। उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार आवेदन / प्रस्ताव रद्द किए गए हो, ऐसे आवेदन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क अन्य पाठ्यक्रम के विरूद्ध समायोजित नहीं की जाएगी।

3. यदि समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / वर्तमान अनुमोदन के लिए सभी एम टी आई आवेदन करना चाहते हैं ऐसे अनुमोदन से संबंधित दिशा-निर्देशों और मापदंड के माध्यम से एतद्द्वारा इसकी जानकारी नौवहन महानिदेशालय कि वेबसाईट [www.dgshipping.gov.in] पर उपलब्ध की गई है। और प्रत्येक एम टी आई समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुमोदन के इरादे से आवेदन करता है तो नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में योग्यता का मापदंड और अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। जमा शुल्क वापस नहीं होगी या अन्य शुल्क आवेदन और अनुरोध पर शुल्क समायोजित पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. वाणिज्यिक पोत परिवहन [समुद्रकर्मी के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र और निगरानी] नियम 2014 के नियम 75 के अंतर्गत नौवहन महानिदेशक और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के प्रदत शक्तियों का अनुपालन कर जारी किया जा सकता है।

आनंद 19.3.15

(आनंद कुमार)

सहायक नौवहन महानिदेशक, (प्रशिक्षण)